Demand to change the timing of currently operating Train No. 12529 from Patliputra to Lucknow

डा. भीम सिंह (बिहार): माननीय उपसभापति महोदय, बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाने वाली एक ट्रेन है, जिसका नंबर 12529 है। यह ट्रेन छपरा, सिवान, गोरखपुर होते हुए जाती है। पाटलिपुत्र से इसके खुलने का समय साढ़े चार बजे शाम में है। अब यह जो साढ़े चार बजे का समय है, यह बहुत लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। अगर कार्यालय में काम करने वाले लोग तथा बिजनेस, व्यापार करने वाले लोग मार्केटिंग वगैरह करके लौटना चाहते हैं, तो उन्हें साढ़े चार बजे की ट्रेन बहुत हड़बड़ी में पकड़नी पड़ती है। उनको अपने कार्यालय के काम को अधूरा ही छोड़ कर बीच में ही जाना पड़ता है। अगर वे इस ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं, तो पटना से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हाजीपुर है, वहाँ जाकर रात में ट्रेन पकड़नी पड़ती है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि इस ट्रेन की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इस ट्रेन की टाइमिंग को बदला जाए। यह जो ट्रेन नंबर 12529 है पाटलिपुत्र-लखनऊ सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसका टाइम रात के 9 या 10 बजे किया जाए। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग बदलने में कोई दिक्कत है, तो रात के 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे के करीब एक नई ट्रेन चलाई जाए। यह जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Ramji (Uttar Pradesh), associated himself with the matter raised by the hon. Member, Dr. Bhim Singh.

धन्यवाद, डा. भीम सिंह जी। Now, Shri Subhas Chandra Bose Pilli - Demand to amend IT Act pertaining to social media.

Demand to amend IT Act pertaining to Social Media

SHRI SUBHAS CHANDRA BOSE PILLI (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. I submit that usages of the Internet like giving messages or passing information with unbearable languages or photos, damaging the character of men and women through WhatsApp or social media or YouTube consequently leads to their suicides. I submit to punish them. There was the section 66A of the IT Act 2000, but in the light of the Apex Court judgment in Shreya *Versus* Union of India case, the Government or the police was unable to file criminal cases against such